(6) **विसंगति या आदर्शशून्यता की समस्या** (The Problem of an Anomie)—अल्पसख्यक समुदायों के लोगों की एक और समस्या यह है कि उचित समन्वय न होने के कारण उनमें विसंगति या आदर्शशून्यता की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। **रॉबर्ट निस्बेट** (Robert Nisbet) ने विसंगति की एक व्यापक परिभाषा देते हुए लिखा है कि जब सामाजिक मूल्यों में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनका एक-दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है अथवा जब मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवस्था दोनों ही प्रभावित होते हैं। फलतः समाज व व्यक्ति के जीवन में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे कि विसंगति (anomie) कहा जा सकता है। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में आज इस

Scanned with CamScanner

विसंगति की स्थिति को सहज ही देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, आज का सांस्कृतिक मूल्य हमारे सम्मुख यह आदर्श प्रस्तुत करता है कि अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा व्यक्ति के लिए किसी भी उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है—वह लखपति बन सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है या संसार की सबसे सुन्दर युवती को अपनी पत्नी के रूप में पा सकता है। परन्तु इन स्थितियों को प्राप्त करने के उचित और स्वीकृत साधन या प्रणालियाँ उसे अपने समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। इसके विपरीत वह यह देखता है कि समाज के अयोग्य सदस्य सिफारिश या पार्टी के बल पर उच्चतर पदों पर आसीन हैं और वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए खाने तक का भी ठिकाना नहीं है और कष्टों से तंग आकर अन्त में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी समाज की आशाओं पर धूल झोंकता है, समाज के आदर्श-नियमों का उल्लंघन करना ही जीवन का आदर्श समझता है, चोरी करता है, डाका डालता है और जालसाजी या गबन करता है। यह समाज में व्याप्त विसंगति की स्थिति की ही उपज होता है।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों का कल्याण[1]

(WELFARE OF MINORITIES BY GOVT. OF INDIA)

वैसे तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत-सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रही है। लेकिन इस हेतु -अल्पसंख्यक मामलों के एक पृथक मन्त्रालय' का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया। इसके गठन का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की नीति, नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992, वक्फ अधिनियम 1995 और दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए यह मन्त्रालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मन्त्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम व योजनायें इस प्रकार हैं—

अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति (Appointment of Minority Commission)—15 जनवरी, 1978 को केन्द्रीय सरकार ने देश-भर में भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की घोषणा एक अधिसूचना जारी करके की थी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग की यह नियुक्ति भारतीय संघ की धर्मनिरपेक्ष (secular) परम्पराओं की रक्षा करने, राष्ट्रीय एकीकरण (national integration) को बढ़ावा देने तथा अल्पसंख्यकों के दिल व दिमाग से असमानता एवं भेदभाव की भावना को समाप्त करने की दिशा में एक कारगर कदम है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह आयोग इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएँ (institutional arrangements) उपलब्ध कराएगा जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों को संविधान में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों में तथा समय-समय पर क्रियान्वित सरकारी नीतियों व प्रशासनिक योजनाओं में उनको (अल्पसंख्यकों को) प्रदत्त सुरक्षाओं को उचित रूप में लागू तथा प्रभावशाली बनाया जा सके।

अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य हैं जिनका कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक न होगा। संविधान के अनुच्छेद 350 (बी) के अन्तर्गत नियुक्ति विशेष अधिकारी (special Officer) इस आयोग के सचिव (Secreatry) के रूप में करता है। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है।

इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(1) संविधान में तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध विभिन्न संरक्षणों (safeguards) की क्रियाशीलता का मूल्यांकन करना;

(2) उपर्युक्त सभी संरक्षण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने व उन्हें अधिक कारगर बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(3) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गयी नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा (review) करना;

(4) अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षाओं और अधिकारों से वंचित किये जाने सम्बन्धी विशेष शिकायतों पर ध्यान देना;

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमन्त्री का 15 सूत्री कार्यक्रम—इस कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य इस प्रकार है—(क) शैक्षिक अवसरों में बढ़ोत्तरी (ख) मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य व केन्द्र सरकार की नौकरियों के चयन द्वारा

1 भारत 2011, **वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ**, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2011, पृष्ठ 1077-1083 पर आधारित।

Scanned with CamScanner

रोजगार व आर्थिक गतिविधियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, (ग) बुनियादी संरचना विकास योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित कर अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना (घ) साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियन्त्रण करना। नए कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचितों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्ग को मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक भी पहुँचे, नए कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का कुछ हिस्सा केन्द्रित करने पर विचार किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, विभिन्न योजनाओं का 15 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय परिव्यय व लाभार्थी अल्पसंख्यकों में से हों।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई हैं। इनमें बालिकाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन तीन योजनाओं में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ उनके लिए हैं। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं—

• **मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप**—यह पूर्णत: केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 20,000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। योजना में 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और इसके विद्यार्थियों को पूरे पाठ्यक्रम की फीस दी जाती है। अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष अधिकतम 20,000 रुपये का पुनर्भुगतान किया जाता है। वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान 31911 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।

• **मेरिट पश्चात् स्कॉलशिप**—यह पूर्णत: केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। यह छात्रवृत्ति कक्ष ग्यारह से पीएच.डी स्तर तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हे। इसमें कक्ष ग्यारह और बारह के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। तीन हजार से दस हजार प्रति वर्ष की फीस का पुनर्भुगतान विद्यार्थी को कर दिया जाता है। दिसम्बर, 2009 तक 2064 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।

• **मैट्रिक पूर्व स्कॉलरशिप**—पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए चलाई जाने वाली इस योजना में केन्द्र व राज्य की भागीदारी क्रमश: 75 और 25 की है। इस योजना के तहत 4700 रुपये प्रति प्रति वर्ष तक की फीस का पुनर्भुगतान विद्यार्थी को किया जाता है। आवेदन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें विज्ञापन देती हैं।

अल्पसंख्यक बहुत जिलों की पहचान—वर्ष 2001 की जनगणना और पिछड़ेपन के पैमानों के आधार पर ऐसे 90 जिलों की पहचान की गई है। शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, आवास, पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसे विकास के पिछड़ेपन के कारकों से निपटने के लिए वर्ष 2008-09 में एक बहुल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। विकास के पिछड़ेपन के कारकों की पहचान के लिए बुनियादी सर्वेक्षण भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शोध संस्थानों द्वारा किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान इसके लिए 540 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। आठ अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुत जिलों की बहु क्षेत्रीय विकास योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।

नि:शुल्क कोचिंग और समवर्गी योजना—सरकारी सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने व नौकरी के क्षेत्र में उभरते परिदृश्य का सामना करने के उद्देश्य से यह योजना जुलाई, 2007 में शुरू की गई। वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान 18 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 38 संस्थानों को 17.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिससे 4567 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। वर्ष 2008-09 के दौरान बजटीय प्रावधान 10 करोड़ रुपये है।

सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसरण के लिए की गई पहल

सरकार ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर से संबद्ध एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से जुड़े कई निर्णय लिए। सच्चर समिति की मुख्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के तहत लिए गए निर्णय तथा मन्त्रालय वार कार्यान्वयन स्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अल्पसंख्यक बहुत जिलों में और अधिक शाखाएँ खोलने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसे जिलों में 523 शाखाएँ खोली गईं। वर्ष 2008-09 में 537 नई शाखाएँ

Scanned with CamScanner

खोली गईं। वर्ष 2009-10 में 500 नई शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया और वर्ष की तीसरी तिमाही के अन्त तक ही 502 नई शाखाएँ खोल दी गईं। (वित्तीय सेवाओं के विभाग)

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अल्पसंख्यकों को गण सुविधाओं में सुधार के मद्देनजर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में गण वितरण सम्बन्धी अपने मुख्य परिपत्र को 5 जुलाई, 2007 को संशोधित किया। वर्ष 2008-09 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में गण वितरण के तहत अल्पसंख्यकों को 82,000 करोड़ रुपये से अधिक प्रदान किए गए। (वित्तीय सेवाओं के विभाग)

(3) अग्रणी बैंकों की जिला सलाहकार समितियों (डीसीसी) को अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निपटारे व नामंजूरी को लेकर निरन्तर निगरानी करने के निर्देश दिए। (वित्तीय सेवाओं के विभाग)

(4) सच्चर समिति द्वारा सामने लाए गए मुस्लिम समाज के शैक्षणिक पिछड़ेपन के मसले को ध्यान में रखकर बहु-आयामी रणनीति को अमल में लाया गया, जो इस प्रकार हैं—(मानव संशाधन विकास मन्त्रालय)

(क) मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर इसे अधिक आकर्षक बनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को बेहतर वेतन दिए गए। पुस्तकों, शिक्षण सुविधाओं व कम्प्यूटरों के लिए सहायता राशि में वृद्धि और व्यावसायिक विषयों की शुरूआत आदि की गई। इस कार्यक्रम को मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के तौर पर जाना गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को 325 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ शुरू किया गया।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 125 करोड़ रुपये आबंटित कर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्थापित निजी तौर पर प्रबन्धित प्राथमिक, सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता के मद्देनजर एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई गई।

(ग) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क-2005 (एनसीएफ-2005) के मद्देनजर एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ने सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं।

(घ) 35 विश्वविद्यालयों ने अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक बहिष्कार तथा समावेशी नीतियों के अध्ययन के लिए केंद्रों की स्थापना की।

(ङ) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों के मापदण्ड में संशोधन किया गया और एक अप्रैल, 2008 से 30 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लाकों तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत (53.67 प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार) से कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों को इसके दायरे में लाया गया।

(च) सेंकेडरी स्तर पर गुणवर्तापूर्ण शिक्षा की सभी तक पहुँच के दृष्टिगत शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को केन्द्रित कर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएसएमए) को अनुमोदित किया गया।

(छ) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) पर भी विचार कर उल्लेख किया गया।

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जूजीसी) की मौजूदा योजना में अल्पसंख्यक बहुत जिलों ब्लाकों में स्थित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में और अधिक कन्या छात्रावासों को खोलने के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

(5) समान अवसर आयोग के ढाँचे तथा कार्य के अध्ययन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंप दी। विशेषज्ञ समूह की विविधता सूचकांक पर रिपोर्ट के साथ ही इस रिपोर्ट को प्रक्रियागत कर दिया गया। (अल्पसंख्यक मामलों के मन्त्रालय)

(6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व बुनियादी सुविधाओं पर आँकड़ा संग्रहण के लिए राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना की गई।

(7) उचित तथा कारगर नीतिगत निर्णय हेतु आँकड़ों के विश्लेषण के लिए योजना आयोग में एक स्वायत्त मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण (एएमए) का गठन किया गया।

(8) राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान ने सरकारी अधिकारियों के सुग्राहीकरण के लिए एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया है। इस माड्यूल को केन्द्र/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए भेज दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) ने संगठित सिविल सेवाओं के सुग्राहीकरण के लिए एक माड्यूल विकसित किया है और इसे अपने संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल भी कर लिया है। (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

Scanned with CamScanner

2630

J.S. (PG) College Library Sikandarpur

(9) छोटे व मध्यम शहरों के लिए शहरी ढाँचागत विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अन्तर्गत पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले 69 शहरों को 1602.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें से 659.37 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 में जारी किए गए। (शहरी विकास मन्त्रालय)

(10) गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें अन्य के साथ-साथ घरेलू कामगार भी शामिल हैं। (श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय)

(11) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में अभिव्यक्त सरोकारों पर विचार करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट सौंप दी। (गृह मामलों का मन्त्रालय)।

(12) साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। (गृह मामलों का मन्त्रालय)

(13) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं व जानकारियों का प्रसार व प्रचार क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय)

(14) राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा थानों में मुस्लिम पुलिस अधिकारियों तथा अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर सुझाव दिए गए।

(15) पंचायती राज मन्त्रालय और शहरी विकास मन्त्रालय की ओर से राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधारों को लेकर भी सलाह दी गई।

(16) वक्फ से सम्बन्धित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। इसे अनुमोदित रूपरेखा के अनुरूप प्रक्रियागत कर दिया गया है। (अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय)

(17) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के पुनर्गठन को लेकर सहमति जताते हुए सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। (अल्पसंख्यक मामलों के मन्त्रालय)

(18) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 338 चिन्हित शहरों की तीव्र व समग्र रूप से विकास करने के मद्देनजर उपयुक्त रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अन्तर मन्त्रालय टास्क फोर्स ने 8 नवम्बर, 2007 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को इन 338 शहरों में अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

(19) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक बाद एवं प्रतिभा सह साधन छात्रवृत्ति योजनाओं को शुरू किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध विद्यार्थियों को 7.09 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं और वर्ष 2009-10 (31 दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान 15.15 लाख छात्रवृत्तियाँ दी गईं। (अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय)

(20) मौलाना आजाद फाउंडेशन के 100 करोड़ रुपये के मौजूदा संग्रह को दिसम्बर, 2006 में दोगुना कर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान फाउंडेशन के संग्रह में 50 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी और वर्ष 2008-09 में भी 60 करोड़ रुपये और बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2009-10 के दौरान संग्रह में 115 करोड़ रुपये और वृद्धि की गई और वर्तमान में फाउंडेशन का संग्रह 425 करोड़ रुपये है। (अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय)

(21) संशोधित नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना की शुरूआत की गई। इसके तहत वर्ष 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध 5522 विद्यार्थियों तथा वर्ष 2009-10 (31 दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान 4657 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई। (अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय)

(22) वर्ष 2008-09 के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, झारखण्ड, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, महाराष्ट्री, कनार्टक, केरल, उत्तराखण्ड, मिजोरम और जम्मूकश्मीर के 76 अल्पसंख्यक बहुल जिलों से सम्बन्धित योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया और इस योजना के प्रारम्भ के बाद से 31 दिसम्बर, 2009 तक इस मद में 784 करोड़ रुपये जारी किए गए। (अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय)

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन—फाण्डेशन का मौजूदा संग्रह 250 करोड़ रुपये का है। वर्ष 2008-09 के लिए संग्रह फण्ड में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि का लक्ष्य है। वर्ष 2007-08 के दौरान अनुदान योजना के तहत छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 175 लाख रुपये, विद्यालयों, कॉलेजों का निर्माण/विस्तार के लिए 439.50 लाख रुपये तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 45 लाख रुपये दिए गए। मौलाना आजाद राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

छात्रवृत्ति के तहत 3549 लाभार्थियों को 425.88 लाख रुपये वितरित किए गए और फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में चलाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 4.75 लाख रुपये प्रदान किए गए।

वर्ष 2008-09 में (जुलाई 08 तक) फाउंडेशन की अनुदान योजना के तहत छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 172 लाख रुपये विद्यालयों, कॉलेजों के निर्माण/विस्तार के लिए 311.90 लाख रुपये तक, तकनीकी शिक्षा के लिए 37 लाख रुपये वितरित किए गए। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत 462 लाभार्थियों को 55.44 रुपये वितरित किए गए तथा फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर 1.75 लाख रुपये खर्च किए गए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम

अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई। आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को स्व रोजगार के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिनकी पारिवारिक आय बीपीएल से दोगुनी से कम हो।

निगम की अधिकृत शेयर पूँजी 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई। निगम सम्बद्ध राज्य/केन्द्रशासित प्रशासन द्वारा नामित स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) तथा एनजीओ के जरिए लाभार्थी को सहायता उपलब्ध कराता है। एससीए कार्यक्रम के तहत पाँच लाख तक लागत वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्य के लिए एससीए को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है जिसे वह छह प्रतिशत की ब्याज दर पर दे सकती है। निगम एससीए के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक ऋण की योजना भी चला रहा है।

एनजीओ कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 25 हजार तक का लघु ऋण दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए एनजीओ को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है जिसे वह आगे पाँच प्रतिशत की ब्याज दर पर सदस्यों को देता है। ऋण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त निगम लक्षित समूह को कौशल उन्नयन तथा विपणन सहायता भी देता है। एनजीओ कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रावधान है।

निगम एनसीए के जरिए शैक्षिक ऋण योजना भी चला रहा है। इस योजना के तहत निगम अल्पसंख्यक समुदाय के सुपात्र व्यक्तियों को पेशेवर और तकनीकी शिक्षा के लिए तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर 2,50,000 रुपये का ऋण देता है।

निगम ने इस वर्ष (अगस्त 2008 तक) सावधि ऋण योजना के तहत 13889 लाभार्थियों को 6709 लाख रुपये के ऋण प्रदान किए। इसी अवधि के दौरान 11115 लाभार्थियों को 1703.25 लाख रुपये के लघु ऋण प्रदान किए गए।

निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 1108.09 करोड़ रुपये जारी किए जिससे 399976 लोगों को लाभ मिला।

सरकार ने निगम को धारा 25 के तहत कम्पनी को नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनांस कम्पनी (एनवीएफसी) में बदलने की मंजूरी दे दी है।

वार्षिक योजना

अल्पसंख्यक मामलों के मन्त्रालय का वार्षिक योजना परिव्यय वर्ष 2007-08 में 500 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2008-09 में बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए 13.83 करोड़ रुपये का गैर योजनागत प्रावधान भी किया गया है।

Scanned with CamScanner